न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 13/2021

अपीलांट्स –

1. टीकमाराम पुत्र नाथाराम
2. रतनाराम पुत्र नाथाराम
3. बाबूराम पुत्र नाथाराम
4. जगाराम पुत्र नाथाराम
5. पुरखाराम पुत्र नाथाराम
6. रतनाराम पुत्र लाखाराम
7. वींया उर्फ भीमा पुत्र लाखाराम
8. धन्नाराम पुत्र लाखाराम
   जाति रबारी निवासी बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. उकाराम पुत्र देरामाराम
2. ईशराराम पुत्र देरामाराम
3. भीमाराम पुत्र देरामाराम
4. चम्पालाल पुत्र देरामाराम
   जाति मेघवाल निवासी बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
5. तहसीलदार, गुडामालानी

राज़स्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी प्रकरण संख्या 02/2020 अनवान उकाराम बनाम टीकमाराम आदेश दिनांक 22.07.2021 पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील बी एल रामावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 से 4 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पों. संख्या 05 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 28.05.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उकाराम, ईशाराम, भीमाराम एवं चम्पालाल पुत्र देरामाराम द्वारा एक राजस्व वाद धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक [illegible] गुडामालानी न्यायाल में दावा संख्या 134/10 खेत [illegible] 46.10 बीघा मौजा बांटा से अपीलांट को बेदखल करने हेतु पेश किया [illegible] जिसमें अपीलांट द्वारा एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सपठित [illegible] पेश किया था, को [illegible] 23.12.2016 को खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में संख्या 658/17 पेश की गई, जिस पर राजस्व मण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:13 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.07.2017 को निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आवेदन आदेश नियम 7 नियम 11 में उठाए बिंदुओं पर विस्तृत विवेचन कर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर आदेश पारित करवाए, जिस पर सहायक कलेक्टर गुडामालानी ने दिनांक 31.08.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर उक्त वाद में वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि से धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किए जाने का निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2021 को प्रस्तुत की गई है एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र वास्ते वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाने वास्ते प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि उकाराम, ईशाराम, भीमाराम एवं चम्पालाल पुत्र देरामाराम द्वारा एक राजस्व वाद धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर, गुडामालानी न्यायालय में दावा संख्या 134/10 खेत खसरा नंबर 321 रकबा 46.10 बीघा मौजा बांटा से अपीलांट को बेदखल करने हेतु पेश किया, जिसमें अपीलांट द्वारा एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया था, को दिनांक 23.12.2016 को खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में संख्या 658/17 पेश की गई, जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.07.2017 को निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आवेदन आदेश नियम 7 नियम 11 में उठाए बिंदुओं पर विस्तृत विवेचन कर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर आदेश पारित करवाए, जिस पर सहायक कलेक्टर गुडामालानी ने दिनांक 31.08.2020 को राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की अवहेलना करते हुए आदेश 6 नियम 11 अपीलांट के प्रार्थनापत्र में उठाए गए बिंदुओं पर विस्तृत विवेचन न कर अपना निर्णय दिनांक 31.08.2020 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया एवं उक्त वाद में वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादीगण को अनुपस्थित बताते हुए वादी वकील के आवेदन पर एकतरफा मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त मौका रिपोर्ट के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 22.07.2021 को वादग्रस्त भूमि से धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किए जाने का निर्णय पारित किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में यह भी जाहिर किया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वाद संख्या 286 / 75 अपीलांट के पूर्वज लाखा एवं नाथा ने उतरदातागण के पूर्वज देरामा के विरुद्ध दिनांक 05.09.1975 को पेश किया जिसके पूर्ण रेकर्ड की जानकारी रेस्पोडेंट व उनके पूर्वजों को थी, उक्त वाद में देरामा ने दिनांक 15.02.1976 को लाखा व नाथा के पक्ष में एक ईकरारनामा उक्त भूमि में लाखा व नाथा का स्वामित्व व आधिपत्य होने का तथा न्यायालय में इकबाली जवाबदावा भी लिखकर दिया, जिसमें देरामा ने यह स्वीकार किया था कि भू–बंदोबसत की त्रुटि के कारण वादग्रस्त आराजी देरामा के नाम भूल से अंकित हो गई थी। गत 60–65 वर्षों से अपीलांट के पूर्वज लाखा व नाथा का तथा उनके बाद अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने रेकर्ड का ज्ञान होने के बावजूद उक्त अपीलाधीन वाद 35 वर्षों के घोर विलंब से पेश किया है, जो कानूनन म्याद बाहर है, धारा 183बी राजगािन काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश करने हेतु परिसीमा 12 वर्ष निर्धारित है। उक्त वाद म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व जागीरकाल से कब्जा काश्त रहवास होने से तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1855 कानून बाद में लागू होने से इसका भूतलक्षी प्रभाव पूर्व के कब्जे धारियों पर कानूनन नहीं पडेगा, जैसा कि रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान के वृहद पीठ के निर्णय दिनांक 11.05.1975 उमा बनाम कजोड अपील संख्या 113 / 70 (RRD 1975 Page 272) में अभिनिर्धारित किया गया है कि "वादी का धारा 183 के अधीन प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 46–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वाद लाने का अधिकार नहीं है।" इस प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण के स्वामित्व व कब्जे को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अतः वाद पोषणीय न होने से खारिज योग्य था।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि प्रतिवादीगण ने मौजा बांटा स्थित खेत खसरा नंबर 321 रकबा 46–10 बीघा की भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है, इसी खसरे पर प्रतिवादीगण के अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की दिनांक 30.09.2010 से 2 वर्षों पूर्व यानि सेटलमेंट से लगाकर [illegible] पूर्व तक प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में उक्त भूमि थी, [illegible] से प्रतिवादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त होने से प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज हुई, तब से लगातार 2008 तक इस भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज थे व काश्त करते चले आ रहे थे। वर्ष 2008 के फरवरी माह में प्रतिवादीगण के पास वादीगण के पिता नाथाराम एवं लाखाराम आए तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण से यह निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कि उक्त खेत यदि प्रतिवादीगण काश्त हेतु पांति पर देना चाहते है तो उस वर्ष के लिए काश्त में 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण को दिया जाएगा, प्रतिवादीगण गरीब अनपढ एवं अनुसुचित जाति के व्यक्ति है, वादीगण की नियत समझ नहीं सके तथा प्रतिवादीगण यह समझकर उस वर्ष काश्त हेतु खेत खसरा नंबर 321 को 1/2 पांति पर खडन हेतु दे दिया। उस वर्ष तो वादीगण ने काश्त की 1/2 पांति प्रतिवादीगण को दे दिया जाकर तत्पश्चात प्रतिवादगण ने उक्त खेत को वापिस वादीगण को सुपुर्द कर दिया था। इससे अगले वर्ष जब वादीगण प्रतिवादीगण के पास आए और पुनः खेत पांति पर मांगा तो पूर्व के विश्वास के आधार पर वादीगण को 1/2 पांति पर खेत काश्त करने हेतु प्रतिवादीगण ने दे दिया तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को यह कहा कि 1/2 हिस्सा की फसल देने हेतु लिखा पढी करा देते हैं, वादीगण के उक्त कथन पर विश्वास करके अप्रतिवादीगण ने पांति बाबत लिखा पढी करवा दी, परन्तु वादीगण की नियत खराब थी, वादीगण भाडयंत्र कर प्रतिवादीगण का खेत हडपने की नियत से साजिश की थी, फसल पकने पर वादीगण ने 1/12 हिस्सा देने से मना कर दिया वादग्रसत भूमि के पास मेघा हाईवे निकलता है। खेतों की कीमतें नर्मदा नहर आ जाने से बहुत ज्यादा बढ गई है। इसलिए वादीगण ने यह खेत हडपने की नियत से षडयंत्र किया। इस बाबत प्रतिवादीगण ने उकाराम, ईशाराम, भीमाराम एवं चम्पालाल पुत्र देरामाराम द्वारा एक राजस्व वाद धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर, गुडामालानी न्यायाल में दावा संख्या 134/10 खेत खसरा नंबर 321 रकबा 46.10 बीघा मौजा बांटा से अपीलांट को बेदखल करने हेतु पेश किया, जिसमें अपीलांट द्वारा एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया था, को दिनांक 23.12.2016 को खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में संख्या 658/17 पेश की गई, जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.07.2017 को निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आवेदन आदेश नियम 7 नियम 11 में उठाए बिंदुओं पर विस्तृत विवेचन कर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर आदेश पारित करवाए, जिस पर सहायक कलेक्टर गुडामालानी ने दिनांक 31.08.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर उक्त वाद में वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत सुनवाई हेतु [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि से धारा 183बी राजस्थान का[illegible] अधिनियम के तहत बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द [illegible] निर्ण[illegible] किया। इसी आधार पर अपीलांट की यह अपील खारिज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:13 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है मौजा बांटा के खेत

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

खसरा नंबर 321 रकबा 46–10 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट से आज दिनांक तक प्रतिवादीगण के पूर्वजों व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज थी एवं वर्तमान में रेकर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 321 पर वादीगण का कब्जा काश्त है, जो स्वयं वादीगण द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया है तथा मौका कब्जा रिपोर्ट में भी राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त खेत खसरा उकाराम, ईशराराम, भीमाराम, चम्पालाल पि. देरामाराम, मालु पत्नी देरामाराम जो कि अनुसुचित जाति वर्ग से संबंधित है, पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति खीमाराम, बाबुराम, रतनाराम, जगाराम, पुरखाराम पि. नाथाराम, विहा, धना पि. लाखाराम द्वारा आवासीय पक्की ढाणियां बनी हुई है, प्रतिवादीगण अनुसुचित जाति वर्ग के तथा वादीगण सामान्य जाति वर्ग के होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत अनुसुचित जाति वर्ग के खातेदारी खेत पर अनाधिकृत कब्जा काश्त वादीगण नही कर सकता है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट लिखा है कि "इस अधिनियम के किन्ही प्रावधानों में किसी विपरित बात के होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या ले रखा है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखल करेन के हकदार है।" यदि सामान्य जाति वर्ग द्वारा अनुसुचित जाति वर्ग की जमीन पर अवैध कब्जा किया जाता है तो यह राज्य सरकार का परम कर्त्तव्य हो जाता है कि उक्त विवादित जमीन पर सामान्य जाति वर्ग द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाते हुए संबंधित अनुसुचित जाति वर्ग के व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को वैद्य कब्जा दिलवाए। चूंकि स्वयं अपीलांट्स द्वारा एवं मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित जमीन जो अनुसुचित जाति वर्ग के नाम है, पर स्वयं का कब्जा बताया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के अनुसार अवैध है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण की यह अपील खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश सम्पुष्ट किया जाता है तथा तहसीलदार गुडामालानी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार कार्यवाही द्वारा आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्याया[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:13 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)